न्यायालय सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी।

उपस्थितः—शिव कुमार सिंह, (एच0 जे0 एस0)

JO Code No-UP 5743

सत्र परीक्षण संख्याः—519 / 2015

कम्प्यूटर पंजीकरण संख्या :—8000519 / 2015

UPLP010029292015

राज्य उ0प्र0

बनाम

1. दिनेश कुमार पुत्र राधे निवासी लहसुरिया थाना फरधान, जिला लखीमपुर—खीरी।
2. रिजवान पुत्र हबीबुल्ला निवासी गौरिया, थाना फरधान, जिला लखीमपुर—खीरी।
3. रहीश पुत्र इद्रीश निवासी गौरिया, थाना फरधान, जिला लखीमपुर—खीरी।

मुकदमा अपराध संख्या—142 / 2015

धारा—364 भा0द0सं0

थाना—फरधान, जिला—लखीमपुर खीरी।

विद्वान शासकीय अधिवक्ता—श्री प्रभाकर मिश्र,

विद्वान बचाव पक्ष अधिवक्ता—श्री महेन्द्र पाल सिंह एवं श्री अवधेश कुमार शुक्ला

अपहृत का नाम—इरशाद खां

घटना की तिथि—26.04.2025

अभियुक्तगण के गिरफ्तारी की तिथि—12.06.2025, 16.06.2025 व 20.06.2015

सत्र सुपुर्दगी की तिथि—05.08.2015

आरोप विरचित किये जाने की तिथि—26.05.2016,

अभियोजन साक्ष्य अंकित किये जाने की तिथि—04.07.2017 से 18.01.2021 तक

अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किये जाने की तिथि—16.03.2021

बहस की तिथि—06 / 07.08.2026

निर्णय की तिथि—18.08.2026

निर्णय

1— अभियुक्तगण दिनेश कुमार, रिजवान तथा रहीश का विचारण सत्र परीक्षण संख्या—519/2015, सम्बन्धित मुकदमा अपराध सं0—142/2015, अन्तर्गत धारा—364 भारतीय दण्ड संहिता, थाना फरधान, जिला लखीमपुर खीरी, के आरोप में इस न्यायालय द्वारा किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण :—

2— संक्षेप में उक्त सत्र परीक्षण के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा अय्यूब खां पुत्र वारिश खां निवासी ग्राम गौरिया थाना फरधान, जिला खीरी ने दिनांक 02.05.2015 को थाना फरधान पर एक लिखित तहरीर प्रदर्श क—1 इस आशय की प्रस्तुत की थी कि, वादी का पुत्र इरशाद खां उम्र करीब 19 वर्ष दिनॉक—26.04.2015, को घर से शाम को करीब 09:00 बजे रात में नाच देखने बताकर गया था परन्तु अभी तक वापस नहीं आया है। उसने अपनी रिश्तेदारियों में काफी प्रयास करके तालाश किया लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला है। उसके लड़के के पास मोबाइल नं0—9628979849 था। वादी द्वारा उक्त आधारों पर अपने लड़के की गुमशुदगी दर्ज करने की याचना की गयी थी।

3— उक्त तहरीर प्रदर्श क—1 के आधार पर थाना फरधान, जिला लखीमपुर खीरी पर मु0अ0सं0—142/2015, अन्तर्गत धारा—363 भा0द0सं0, अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया तथा मामले की विवेचना उपनिरीक्षक श्री श्याम सिंह को सुपुर्द हुयी, जिन्होने दौरान विवेचना नकल चिक, नकल रपट, बयान लेखक, बयान वादी बयान अपहृत की मॉ केस डायरी में अंकित किया तथा वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण करके नक्शा नजरी प्रदर्श क—6 तैयार किया। समई साक्षी यासीन, मुद्दत अली व गवाहान दिलशाद खां के बयान केस डायरी में अंकित किया।

तदोपरान्त दिनॉक—07.05.2015, को वादी मुकदमा अय्यूब खां द्वारा एक अन्य लिखित प्रार्थना—पत्र प्रदर्श क—2 थाना फरधान पर इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वह मु0अ0सं0—142/2015, धारा—363 भा0द0सं0, थाना फरधान का वादी है। उसका लड़का इरशाद खां उम्र करीब 19 वर्ष, जो कि दिनॉक—26.04.2015, की रात नाच देखने गया था तब से आज तक घर नहीं लौटा है। इससे पूर्व कभी भी उसका लड़का कहीं भी बिना बताये नहीं जाता था, वह अपने लड़के के सम्बन्ध में नातेदारी व रिश्तेदारी तथा सम्भावित स्थानों

पर काफी खोजबीन कर चुका है लेकिन कोई सुराग अब तक नहीं लग सका है। उसे पूर्ण आशंका है कि उसके लड़के इरशाद खां को कोई जबरदस्ती लेकर चला गया है।

विवेचक द्वारा वादी मुकदमा की उक्त लिखित तहरीर प्रदर्श क–2, की नकल केस डायरी में अंकित करते हुये वादी मुकदमा का मजीद बयान तथा तहरीर गवाहान फसी खां व महबूब खां तथा तहरीर लेखक नादिम अली का बयान केस डायरी में अंकित किया गया।

तदोपरान्त दिनॉक–29.05.2015, को वादी मुकदमा द्वारा एक टाइपशुदा प्रार्थना–पत्र प्रदर्श क–3 मय शपथपत्र प्रदर्श क–4 पुलिस अधीक्षक लखीमपुर–खीरी के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उसका 19 वर्षीय पुत्र इरशाद दिनॉक–26.04.2015 की सायं लगभग 08:45 बजे आयी मोबाइल पर कॉल पर बात करके लीलाकुआं पर नाच देखने को कहकर चला गया, जिसका मो0नं0–9628979849 है, सुबह तक जब नहीं आया तो परिवार के लोग परेशान होने लगे, सुनने में आया कि उसी रात के सुबह लगभग 06:00 बजे पड़ोसी ग्राम लहसुरियापुरवा थाना फरधान, जिला खीरी निवासी दिनेश पुत्र राधे व पत्नी दिनेश के साथ इरशाद को देखा गया था, उसके बाद से कुछ पता नहीं लग रहा है। वादी ने अपने पुत्र इरशाद को रिश्तेदारी आदि हर जगह तलाश कर लिया है, उसका कहीं कुछ पता नहीं चला है। उसको पूर्ण आशंका है कि दिनेश पुत्र राधे व पत्नी दिनेश का ही हाथ उसके पुत्र इरशाद के लापता होने में है, उन्होने ही उसे कहीं गायब कर रखा है, उनको पूरी जानकारी है।

विवेचक द्वारा दौरान विवेचना प्रार्थना–पत्र प्रदर्श क–3 व शपथपत्र प्रदर्श क–4 की नकल केस डायरी में अंकित की गयी तथा वादी मुकदमा का बयान अन्तर्गत धारा–164 द0प्र0सं0 की नकल तथा वादी मुकदमा व श्रीमती जामिना बेगम का पुनः मजीद बयान केस डायरी में अंकित किया गया, जिसके आधार पर प्रश्नगत मामले में अभियुक्तगण दिनेश कुमार, रिजवान व रहीश का नाम प्रकाश में आने पर संबंधित गवाहान के बयान अंकित किये तथा विवेचना सम्बन्धी अन्य समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये अभियुक्तगण दिनेश कुमार, रिजवान व रहीश के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 364 भा0दं0सं0 में आरोप पत्र प्रदर्श क–9 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

सुपुर्दगी आदेश :–

4– तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी द्वारा सुपुर्दगी आदेश दिनांकित 05.08.2015 में धारा 207 द0प्र0सं0 के तहत शेष अभियुक्तगण दिनेश कुमार, रिजवान तथा रहीश को आवश्यक प्रपत्रों की प्रतियॉ प्रदान कराये जाने का उल्लेख करते हुये, मामला अनन्य रूप से सत्र परीक्षणीय होने के कारण सत्र सुपुर्द किया गया था।

आरोप की धारा :–

5– न्यायालय–अपर सेशन जज कोर्ट सं0–6, लखीमपुर–खीरी ने दिनांक 26.05.2016 को अभियुक्तगण दिनेश कुमार, रिजवान तथा रहीश के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–364 भा0दं0सं0 विरचित किया था तथा आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया था, जिससे उन्होने इन्कार किया था तथा विचारण की मांग की थी।

अभियोजन के मौखिक साक्षीगणः–

9– अभियोजन पक्ष ने अपने कथानक के समर्थन में मौखिक साक्षी के रूप में निम्न साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है–

साक्षी	साक्षी का नाम	साक्षी का प्रकार
पी0डब्लू0–1	अय्यूब खां	वादी मुकदमा
पी0डब्लू0–2	श्रीमती जामिना	अपहृत की मॉ (तथ्य की साक्षी)
पी0डब्लू0–3	राजेश्वर दत्तर द्विवेदी	चिक एफ0आई0आर0 व कायमी जी0डी0 किता करने वाला औपचारिक साक्षी
पी0डब्लू0–4	दिलशाद	अपहृत का भाई (तथ्य का साक्षी)
पी0डब्लू0–5	उपनिरीक्षक श्याम सिंह	विवेचक

अन्य कोई मौखिक साक्ष्य अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अभियोजन के दस्तावेजी साक्ष्य :–

7– अभियोजन ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं–

प्रदर्श सं0	प्रपत्र का नाम	किसके द्वारा साबित किया
प्रदर्श क–1	लिखित तहरीर वादी दिनॉकित–02.05.2015	पी0डब्लू0–1

प्रदर्श क–2	प्रार्थना–पत्र दिनॉकित–07.05.2015	पी0डब्लू0–1
प्रदर्श क–3	प्रार्थना–पत्र दिनॉकित–29.05.2015	पी0डब्लू0–1
प्रदर्श क–4	शपथपत्र	पी0डब्लू0–1
प्रदर्श क–5	बयान अन्तर्गत धारा–164 द0प्र0सं0	पी0डब्लू0–1
प्रदर्श क–6	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट	पी0डब्लू0–3
प्रदर्श क–7	कायमी जी0डी0 की कार्बन प्रति	पी0डब्लू0–3
प्रदर्श क–8	नक्शा नजरी घटनास्थल	पी0डब्लू0–5
प्रदर्श क–9	आरोप–पत्र	पी0डब्लू0–5

अभियुक्तगण की परीक्षा :–

8– अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त, अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 दिनांक 16.03.2021, को अभिलिखित किये गये, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्षीगण द्वारा दिये गये बयान को असत्य बताते हुये रंजिश व पार्टीबन्दी के कारण मुकदमा चलाए जाने का कथन करते हुये पुलिस द्वारा दबाव में मुकदमा दर्ज करने का कथन किया है।

सफाई साक्ष्य:–

9– अभियुक्तगण ने बाबजूद दिये जाने अवसर सफाई साक्ष्य में कोई भी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है।

10– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण श्री महेन्द्र पाल सिंह व श्री अवधेश कुमार शुक्ला एवं राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता ''फौजदारी'' श्री प्रभाकर मिश्र को विस्तारपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया गया।

अभियोजन का मौखिक साक्ष्य :–

11– अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 अय्यूब खां ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनॉकित–04.07.2017 में सशपथ कथन किया है कि घटना आज से लगभग दो वर्ष पूर्व समय 09:00 बजे रात की है, वह घर पर था, उसकी बीबी व इरशाद भी घर पर मौजूद थे। इरशाद नाच देखने के लिए लीला कुआ गया था। नाच देखने से पहले फोन से रिजवान से बात हुयी थी तभी अपनी मॉ से बताकर गया था कि नाच देखने जा रहा हूॅ। नाच देखकर लड़का वापस नहीं आया, अपने लड़के इरशाद को गॉव में व रिश्तेदारी में तलाश किया लेकिन पता नहीं चला, जिस फोन से रिजवान से बात हुयी थी, वह साथ में लेकर गया था। उसके पुत्र इरशाद की उम्र घटना के समय 18 वर्ष थी। जब उसका

पुत्र घर नहीं मिला तो दरखास्त थाने के बाहर एक व्यक्ति से लिखवाकर जो उसने लिखने वाले से बताया था वही लिखा था, लिखने वाले ने पढ़कर सुनाया था फिर उसने अंगूँठा लगाया था, यह बात ध्यान नहीं है, फिर थाने पर दिया था। तहरीर कागज सं0–क7 साक्षी को दिखाया व पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा यही इबारत उसने बोलकर लिखायी थी, जिस पर उसका नाम अय्यूब खां पुत्र वारिश निवासी गौरिया थाना फरधान अंकित है, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। दस–बारह दिन बाद उसने दूसरी दरखास्त दी थी, जिसमें उसने लिखाया था कि लड़के की काफी खोजबीन की किन्तु लड़के का कोई पता नहीं चला। तहरीर कागज सं0–क42, साक्षी को दिखाया व पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा उसने यही इबारत लिखायी थी, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। फिर उसने एक प्रार्थना–पत्र एस0पी0 साहब को दिया था, जिसको उसने कचेहरी में टाइप करने वाले से बोल–बोलकर टाइप करायी थी, जिसमें उसने रिजवान, रहीश व दिनेश का नाम लिखाया था कि उसके पुत्र इरशाद को गायब करने की जानकारी दी थी। टाइप करने वाले ने उसे पढ़कर सुनाया था फिर उसने अपना निशानी अंगूँठा लगाया था। उस प्रार्थना–पत्र के साथ फोटो लगा शपथपत्र दाखिल किया था। साक्षी को शपथपत्र दिखाया गया तो उसने कहा यह उसकी फोटो है तथा इबारत पढ़कर सुनायी गयी तो साक्षी ने कहा यही इबारत उसने टाइप करने वाले को लिखायी थी, जिस पर उसका निशानी अंगूँठा लगा है। प्रार्थना–पत्र व शपथपत्र पर उसका निशानी अंगूँठा है, जिस पर प्रदर्श क–3 व प्रदर्श क–4 डाला गया। दरोगा जी उसे अदालत में बयान दिलाने के लिए लाये थे और उसका बयान हुआ था। साक्षी को धारा–164 द0प्र0सं0 का बयान पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा उसने यही बयान अदालत में दिया था, जिस पर उसका फोटो व अंगूँठा लगा है, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। दरोगा जी ने उसका बयान लिया था। जो उसके लड़के के पास मोबाइल था, उस मोबाइल से बात करना चाहा तो बात नहीं हो पायी। दरोगा जी मौका देखने आये थे।

12– अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू0–2 श्रीमती जामिना ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांकित 20.03.2018 में, सशपथ कथन किया है कि घटना आज से लगभग तीन वर्ष पूर्व की है। इरशाद उसका लड़का था, घटना वाले दिन खाना खाने से पहले उसके लड़के इरशाद के पास एक फोन आया था, फोन पर उसने बात भी की थी, जब उसने पूँछा कि किसका फोन आया है तो बताया था कि

रिजवान का फोन था। जब उसने पूँछा कि क्या बात कर रहा था तो इरशाद ने बताया कि नाच देखने चलने के लिए कह रहे थे, लीलाकुआं पर जाने को कह रहा था फिर उसका लड़का खाना खाने लगा तब फिर फोन आया तब इरशाद ने फोन पर रिजवान से कहा कि रूके रहना वह खाना खाकर आ रहा है फिर खाना खाने के बाद उसका लड़का इरशाद चला गया। नाच देखकर जब उसका लड़का सुबह वाली अजान तक वापस घर नहीं आया तब वह रिजवान के घर पता करने गयी तब रिजवान नहीं मिले, उनकी अम्मा मिली तो रिजवान के बारे में पूँछा तो बताया कि रिजवान कहीं नहीं गया था, वह कमरे में सो रहा है, उसे न जगाओ तो वह वापस अपने घर चली आयी और अपने पति से बताया कि रिजवान की मॉ ने बताया कि रिजवान नाच देखने नहीं गया था, वह सो रहा है लेकिन रिजवान उसे घर पर दिखायी नहीं दिये थे तब उसके पति रिजवान को व इरशाद को तलाश करने लगे तो रिजवान काफी दिन चढ़ आने के बाद मिले तब उनसे इरशाद के बारे में पूँछा तो बताया कि वह कल इरशाद के साथ कहीं नहीं गया था, उसे इरशाद के बारे में कुछ नहीं पता है तब उसने अपने लड़के इरशाद के मोबाइल फोन पर फोन करवाया तो स्विच ऑफ बता रहा था। तब उन सब लोगों ने इरशाद की तलाश शुरू कर दी तो कहीं पता नहीं चला। रिजवान भी उसके पति के साथ इरशाद की तलाश कराते रहे फिर इस बात की खबर उसके पति ने थाने पर भी दी थी। दौरान तलाश उन लोगों को पुलिस द्वारा पता चला कि इसी रात रिजवान, रईस व दिनेश लोगों की फोन से बाते हुयी, रिजवान व रईस में काफी दोस्ती थी, रिजवान का उसके घर उसके लड़के के साथ काफी आना–जाना था तथा रईस का रिजवान के घर काफी आना–जाना था। रईस रिजवान व दिनेश की भी काफी दोस्ती थी, दिनेश की उसके लड़के के साथ भी काफी उठक–बैठक थी, बाजार, मण्डी साथ–साथ जाते थे, लेकिन इन तीनों लोगों ने उसके लड़के इरशाद की बाबत जब कोई सही बात नहीं बतायी तब उन लोगों को पूरा यकीन हो गया कि उसके लड़के इरशाद को कहीं गायब कर दिया है। इस घटना की बाबत उसके पति ने थाने पर रिपोर्ट लिखायी थी, पुलिस ने उससे भी घटना की बाबत पूँछताछ की थी।

13– अभियोजन साक्षी सं0–3 हे0कॉ0 राजेश्वर दत्त द्विवेदी ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांकित 03.08.2018 में सशपथ कथन किया है कि दिनॉक–02 मई 2015, को वह थाना फरधान में हे0मो0 के पद पर तैनात था। उस दिन उसने

वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर कम्प्यूटर ऑपरेटर भानू को बोल–बोलकर टाइप कराकर चिक किता की गयी थी। चिक किता करने के बाद थानाध्यक्ष के हस्ताक्षर व स्वयं के हस्ताक्षर किये थे। शामिल पत्रावली कागज सं0–क4, लगायत क6, टाइपशुदा कापी, जिस पर उसके व थानाध्यक्ष के हस्ताक्षर हैं, तथा थाने की मुहर लगी है, जो मु0अ0सं0–142/2015, धारा–363 भा0द0सं0 विरूद्ध अज्ञात किता की गयी थी, जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया। चिक के आधार पर दिनॉक–02.05.2015, को ही नकल रपट नं0–24 समय 10:30 बजे की कायमी रोजनामचाआम में की थी। शामिल पत्रावली नकल रपट की कार्बन प्रति उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिसे आज वह प्रमाणित कर रहा है, जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

14– अभियोजन साक्षी सं0–4 दिलशाद ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांकित 05.11.2019 में सशपथ कथन किया है कि उसका छोटा भाई इरशाद खां दिनॉक–26.04.2015, को रात लगभग 09:00 बजे लीलाकुआं नाच देखने जाते हैं। नाच देखने के लिए उसके भाई इरशाद को उसके गॉव के ही रिजवान व रहीश बुलाकर ले गये थे। उसका भाई जब नाच देखकर लौटकर नहीं आया तो उसने, उसके पिता जी व उसके रिश्तेदार ने व गॉव के लोगों ने भी काफी तलाश की थी फिर उसके बाद उसके पिता अयूब ने अज्ञात में एफ0आई0आर0 की थी। आज तक उसका भाई वापस घर नहीं आया है। रिपोर्ट लिखायी थी। घटना के बाद पुलिस ने उसका बयान दो बाद लिया था। उसका दोबारा बयान लिया था। उसमें उससे पूॅछा था। उसके पास उसके पड़ोस में ही दुकान के पास काजू पुत्र अल्ताफ की दुकान है, काजू ने उसे बताया था कि दिनॉक–26.04.2015, को रात में इरशाद व दो अन्य व्यक्तियों, जिनके नाम वे नहीं जानते थे, जाते हुये देखा है। काजू उसके साथ ही सब्जी की दुकान लगाता है।

15– अभियोजन साक्षी सं0–5 उपनिरीक्षक श्याम सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांकित 19.10.2020 में सशपथ कथन किया है कि दिनॉक–02.05.2015, को वह थाना फरधान में एस0आई0 के पद पर नियुक्त था। दिनॉक–02.05.2015, को वादी मुकदमा अय्यूब खां पुत्र वारिस खां निवासी गौरिया थाना फरधान, जिला खीरी के द्वारा दिये गये लिखित प्रार्थना–पत्र पर मु0अ0सं0–142/2015 अन्तर्गत धारा–363 भा0द0सं0 थाना हाजा पर पंजीकृत हुआ था। उपरोक्त

मुकदमें की विवेचना एस0एच0ओ0 के आदेश पर उसको सुपुर्द की गयी थी, जिसमें नकल चिक कम्प्यूटरीकृत, नकल रपट थाना कार्यालय से प्राप्त हुयी थी। यह मुकदमा अज्ञात लोगों के खिलाफ लिखा गया था। उसने दिनॉक–02.05.2015, को ही सी0डी0 का पर्चा नंम्बर–1 किता किया था, उस दिन नकल चिक कम्प्यूटरीकृत, बयान लेखक एफ0आई0आर0 अंकित किये थे। दिनॉक–03.05.2015, को पर्चा नं0–2 किता किया गया था, जिसमें बयान वादी मुकदमा, बयान अपहृत की माता व वादी की निशानदेही पर निरीक्षण घटनास्थल किया गया। मौके पर ही उसके द्वारा घटनास्थल का नक्शा बनाया गया था, जो कागज सं0–क8 है, जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया। इसी दिन समई साक्षी यासीन, मुद्दत अली का बयान अंकित किया गया। दिनॉक–04.05.2015, को उसके द्वारा पर्चा नं0–3 किता किया गया, जिसमें गवाह दिलशाद खां का बयान अंकित किया गया। दिनॉक–05.05.2015, को पर्चा नं0–4 किता किया गया, जिसमें गुमशुदा इरशाद खां की गुमशुदगी के सन्दर्भ में सार्वजनिक स्थानों पर पम्प्लेट चस्पा किये गये। दिनॉक–07.05.2015, को पर्चा नं0–5 किता किया गया, जिसमें नकल गस्ती गुमशुदा व दिनॉक–07.05.2015, को थानाध्यक्ष के समक्ष वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की नकल किता की गयी। मूल प्रार्थना–पत्र सी0डी0 किया गया। वादी मुकदमा का मजीद बयान लिया गया। बयान गवाह तहरीर लेखक के अंकित किये गये। बयान गवाह तहरीर साक्षी महमूद खां एवं शफीक खां के अंकित किये गये। दिनॉक–07.05.2015, को पर्चा नं0–5ए किता गया, जिसमें वादी मुकदमा को व परिजनों को सूचित किया गया कि एक अज्ञात लाश प्राप्त हुयी है, जिसकी शिनाख्त के लिए। दिनॉक–14.05.2015 को पर्चा नं0–6 किता किया गया। अपहृत की तलाश की गयी, पता नहीं चला। दिनॉक–18.05.2015, को पर्चा नं0–7 किता किया गया, जिसमें अपहृत इरशाद के बारे में जनपद शाहजहॉपुर के बस स्टाप पर पम्प्लेट चिपकाये गये। दिनॉक–21.05.2015, को पर्चा नं0–8 किता किया गया, जिसमें अपहृत के सी0डी0आर0 प्राप्त की गयी। दिनॉक–24.05.2015, को पर्चा नं0–9 किता किया गया, जिसमें अपहृत से संबंधित सूचना हिन्दुस्तान पेपर में प्रकाशित करायी गयी। दिनॉक–01.06.2015, को पर्चा नं0–10 किता किया गया, जिसमें अज्ञात युवक के शव की सूचना पर वादी मुकदमा के परिवार को शव शिनाख्त की सूचना दी गयी किन्तु वह शव अपहृत का नहीं निकला। दिनॉक–02.06.2015, को वादी मुकदमा द्वारा पुलिस अधीक्षक को सम्बोधित एक शपथपत्र दिया

गया, जिसकी नकल सी0डी0 की गयी। दिनॉक–02.06.2015, को पर्चा नं0–11 किता किया गया। दिनॉक–06.06.2015, को पर्चा नं0–12 किता की गयी, जिसमें अपहृता की तलाश की गयी, नहीं मिला, मजीत बयान वादी अंकित किया गया। दिनॉक–09.06.2015, को पर्चा नं0–13 किता किया गया, जिसमें वादी मुकदमा अय्यूब खां का बयान अन्तर्गत 164 द0प्र0सं0 मजिस्ट्रेट के सामने कराया गया, बयान सी0डी0 किया गया। दिनॉक–10.06.2015, को पर्चा नं0–14 किता किया गया, जिसमें बयान वादी मुकदमा मजीद लिया गया। बयान गवाह श्रीमती जामिना बेगम (अपहृत की मॉ) सी0डी0 किया गया। मजीद बयान मुकदमा वादी एवं अपहृत की मॉ के आधार अभियुक्त दिनेश कुमार, रिजवान व रहीश के नाम प्रकाश में आये। दिनॉक–12.06.2015, को पर्चा सं0–15 किता किया गया, जिसमें प्रकाश में आये अभियुक्त दिनेश कुमार पुत्र राधे की गिरफ्तारी की गयी और दिनेश कुमार का बयान अंकित किया गया। दिनॉक–15.06.2015, को पर्चा नं0–16 किता किया गया, जिसमें अपहृता के भाई इरशाद का बयान मजीद अंकित किया गया। बयान गवाह शफीक खां अंकित किया गया। बयान रियाजुद्दीन, बयान गवाह हामिद अंकित किया गया। दिनॉक–16.06.2015 को पर्चा नं0–17 किता किया गया, जिसमें अभियुक्त रहीश को गिरफ्तार किया गया और उसका बयान अंकित किया गया। दिनॉक–20. 06.2015, को अभियुक्त रिजवान की गिरफ्तारी की गयी और अभियुक्त रिजवान का बयान अंकित किया गया। दिनॉक–20.06.2015, को पर्चा नं0–18 किता किया गया, बयान मुल्जिम अंकित किया। दिनॉक–04.07.2015, को पर्चा नं0–19 किता किया गया, जिसमें बयान गवाह काजू, राकेश, गवाह अनूप, राकेश वर्मा अंकित किया गया। अपहृत इरशाद खां के मोबाइल कॉल की डिटेल, गवाहान के बयान के आधार पर अभियुक्त दिनेश कुमार पुत्र रोध निवासी लहसुरिया पुरवा, रिजवान पुत्र हबीबुल्ला व रहीश पुत्र इदरीश निवासीगण ग्राम गौरिया थाना फरधान जिला खीरी के विरूद्ध पर्याप्त सबूत पाये जाने पर दिनॉक–04. 07.2015, को आरोप–पत्र सं0–75/2015, न्यायालय प्रेषित किया गया। आरोप–पत्र उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जो शामिल पत्रावली कागज सं0–क3 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर बने हैं। वह अपने हस्ताक्षर को प्रमाणित करता है, जिस पर प्रदर्श क–9 डाला गया। क्षेत्राधिकारी के आदेशानुसार उक्त मुकदमें की पुनः विवेचना शुरू हुयी। दिनॉक–31.07.2015, को एस0सी0डी0–1 काटी गयी, जिसमें अपहृत की तलाश की गयी परन्तु नहीं मिला। दिनॉक–12.

01.2016, को एस0सी0डी0 का पर्चा–2 किता किया गया, जिसमें अपहृत की तलाश की गयी परन्तु नहीं मिला। दिनॉक–08.04.2016, को एस0सी0डी0 का पर्चा नं0–3 किता किया गया, जिसमें अपहृत की तलाश चौकी बेहजम के पी0एम0 रजि0 का अवलोकन किया परन्तु नहीं पता चला। दिनॉक–15.06.2016, को एस0सी0डी0 का पर्चा नं0–4 किता किया गया, जिसमें अपहृत की ग्राम गौरिया तथा आस–पास के गॉव में जानकारी की गयी परन्तु पता नहीं चला। दिनॉक–20.06.2016 को एस0सी0डी0 का पर्चा नं0–5 किता किया गया। अब तक की विवेचना से अपहृत का कोई पता नहीं चल सका। अपहृत की तलाश जारी रखते हुये इस पर्चे के माध्यम से विवेचना समाप्त की गयी। यदि भविष्य इमें अपहृत का कोई पता चलता है तो अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

अभियोजन तर्क

16– जिला शासकीय अधिवक्ता ''फौजदारी'' ने दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किये कि वादी मुकदमा का 19 वर्षीय पुत्र इरशाद दिनॉक–26.04.2015, की सायं लगभग 08:45 बजे अभियुक्त रिजवान द्वारा अपहृत के मोबाइल नं0–9628979849 पर कॉल करके अपहृत से बात की गयी तथा लीलाकुआ पर नाच देखने के लिए बुलाया गया, जिस पर अपहृत नाच देखने को कहकर चला गया था। सुबह 04:00 बजे अभियुक्तगण रिजवान व रहीश लौटकर आ गये परन्तु अपहृत नहीं आया तो परिवार के लोग परेशान होने लगे। वादी ने अपने लड़के के फोन पर कॉल किया तो फोन स्विच ऑफ बता रहा था। दौरान विवेचना अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों की साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोप की विशिष्टियॉ युक्तियुक्त ढंग से संदेह से परे प्रमाणित हैं। अभियुक्तगण ने गंभीर अपराध कारित किया है, उन्हें कड़ी–से–कड़ी सजा दी जाए।

बचाव पक्ष के तर्क

17– अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्को को खण्डन करने हेतु अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किये कि वादी मुकदमा द्वारा प्रथम स्तर पर दी गयी तहरीर में अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किये जाने का कोई कथन नहीं किया गया है बल्कि घटना से लगभग एक माह बाद पुलिस अधीक्षक लखीमपुर–खीरी को दी गयी तहरीर व शपथपत्र में राय मश्विरा करके अभियुक्तगण को प्रश्नगत मामले में नामित

किया गया है। प्रश्नगत मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। विधि अनुसार यदि अभियोजन पक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्य की प्रत्येक कड़ी को एक–दूसरे से जोड़ने में असमर्थ रहता है, तो अभियुक्तगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। अभियोजन साक्षीगण परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कोई भी कड़ी संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। अभियोजन साक्षीगण हितबद्ध साक्षी हैं तथा अपहृत के परिवार के ही हैं, जिनकी साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। विधि अनुसार परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में उद्देश्य का साबित किया जाना एक आवश्यक तत्व है, परन्तु अभियोजन पक्ष प्रश्नगत घटना का कोई भी उद्देश्य प्रमाणित करने में असफल रहा है। अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य, महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विरोधाभासी है, जो अभियोजन कथानक को संदेहास्पद बनाता है। अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप साबित नहीं है। इसलिये अभियुक्तगण को संदेह का लाभ देते हुये, दोषमुक्त किया जाये। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा अपने कथनों के समर्थन में निम्न विधि व्यवस्थाये प्रस्तुत की हैं–

(1) Ram Prakash Vs. State of U.P. AIR Online 2022 All 645

(2) Thammineni Bhaskar Vs. State of Andhra Pradesh 2026(1) JIC 532 (SC)

18– अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात प्रश्नगत मामले में निम्नलिखित विनिश्चायक बिन्दु उभरता है–

क्या अभियोजन पक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्तगण पर धारा 364 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं?

19– पत्रावली के अवलोकन से विदित है, कि प्रश्नगत मामले का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है बल्कि मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। इस संबंध में आपराधिक न्यायशास्त्र का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियोजन पक्ष को अभियुक्तगण के विरूद्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य की प्रत्येक कड़ी को युक्तियुक्त ढंग से संदेह से परे प्रमाणित करते हुये उन्हें एक–दूसरे से जुड़ा होना दर्शित करना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि, क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण की प्रश्नगत मामले में संलिप्तता की बाबत परिस्थितिजन्य साक्ष्य की प्रत्येक कड़ी को एक–दूसरे से जोड़कर साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं?

20– प्रश्नगत मामले के गुण–दोष पर विवेचना किये जाने से पूर्व यह अभिलिखित किया जाना उचित प्रतीत होता है कि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था संजू बनाम केरल राज्य 2001(1) जे0आई0सी0 पृष्ठ 306 (एस0सी0), स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम खेराजराम (2003) (8) एस0 सी0सी0 पृष्ठ 224, स्टेट आंफ बेस्ट बंगाल बनाम दीपक हल्दर 2009(4) सुर्पीम पृष्ठ 393 (तीन जज खण्ड पीठ) तथा स्टेट आंफ गोवा बनाम पदमनन मोहित ए0आई0आर0 2009 एस0सी0 पृष्ठ 166 में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किए जाने हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं का साक्ष्य से स्थापित होना आवश्यक बनाया गया है।

1. जिन परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त के अपराध बोध का अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है, उन्हें संज्ञात्मक और दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए।

2. परिस्थितियॉ एक निश्चित प्रकृति की होनी चाहिए, जो अभियुक्त के अपराधी होने की ओर इशारा इंगित करती हो।

3. समग्र रूप से ली गयी परिस्थतियों की एक पूरी श्रृंखला बननी चाहिए कि, सभी मानव संभाव्यता के भीतर अपराध अभियुक्त द्वारा ही किया गया है, किसी अन्य के द्वारा नहीं।

4. अभियुक्त को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध किए जाने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूर्ण एवं अवयुक्त द्वारा अपराध किए जाने के अलावा किसी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में अक्षम होना चाहिए।

21– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन साक्ष्य की संवीक्षा किया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है।

22– इस स्तर पर यह तथ्य उल्लेखनीय है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रश्नगत मामले को साबित करने के उद्देश्य से कुल पॉच साक्षीगण को न्यायालय में परीक्षित कराया गया है, जिनमें से तथ्य के साक्षी के रूप में पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा अय्यूख खां, पी0डब्लू0–2 श्रीमती जामिना अपहृत की मॉ तथा पी0डब्लू0–4 दिलशाद, अपहृत का भाई है। ऐसी स्थिति में न्यायालय को तथ्य के उपरोक्त साक्षीगण पी0डब्लू0–1, पी0डब्लू0–2 एवं पी0डब्लू0–4 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर ही अभियुक्तगण की प्रश्नगत मामले में संलिप्तता को निर्धारित करना है।

23– इस संबंध में वादी अय्यूब खां ने तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–1 तथा पुलिस अधीक्षक लखीमपुर–खीरी को सम्बोधित पत्र प्रदर्श क–3 व शपथपत्र प्रदर्श क–4 को प्रमाणित करते हुये बतौर पी0डब्लू0–1 अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि, घटना लगभग दो वर्ष पूर्व समय 09:00 बजे रात की है, वह घर पर था, उसकी बीबी व इरशाद भी घर पर मौजूद थे। इरशाद नाच देखने के लिए लीला कुआ गया था। नाच देखने से पहले फोन से रिजवान से बात हुयी थी तभी अपनी मॉ से बताकर गया था कि नाच देखने जा रहा हूॅ। नाच देखकर लड़का वापस नहीं आया, अपने लड़के इरशाद को गॉव में व रिश्तेदारी में तलाश किया लेकिन पता नहीं चला, जिस फोन से रिजवान से बात हुयी थी, वह साथ में लेकर गया था। उसके पुत्र इरशाद की उम्र घटना के समय 18 वर्ष थी। जब उसका पुत्र घर नहीं मिला तो दरखास्त थाने के बाहर एक व्यक्ति से लिखवाकर जो उसने लिखने वाले से बताया था वही लिखा था, लिखने वाले ने पढ़कर सुनाया था फिर उसने अंगूॅठा लगाया था, यह बात ध्यान नहीं है, फिर थाने पर दिया था। दस–बारह दिन बाद उसने दूसरी दरखास्त दी थी, जिसमें उसने लिखाया था कि लड़के की काफी खोजबीन की किन्तु लड़के का कोई पता नहीं चला। फिर उसने एक प्रार्थना–पत्र एस0पी0 साहब को दिया था, जिसको उसने कचेहरी में टाइप करने वाले से बोल–बोलकर टाइप करायी थी, जिसमें उसने रिजवान, रहीश व दिनेश का नाम लिखाया था कि उसके पुत्र इरशाद को गायब करने की जानकारी दी थी।

दौरान जिरह साक्षी ने पृष्ठ–4 पर कथन किया है कि, जब वह तहरीर देने गया था तब उसके साथ नादिम अली, शफी अहमद, महबूब अली थे, वहाब खां थे। इसके अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं था। नादिम साथ में गये थे, ये सभी लोग उसे उसके घर पर ही मिले थे। यह सभी लोग करीब 10:00 बजे मिले थे, फिर इन लोगों से थोड़ी बहुत सलाह मश्विरा की थी। इन लोगों ने यह नहीं कहा था कि मुल्जिमान रहीश व रिजवान का नाम लिखा दो। उसने भी उन लोगों से नहीं कहा था कि रिजवान व रहीश का नाम लिखाना है। मन में था कि इन लोगों का नाम रिपोर्ट में लिखाऊॅगा। दौरान जिरह साक्षी ने पृष्ठ–5 पर कथन किया है कि जब दरोगा जी ने उससे पूॅछा किसकी रिपोर्ट लिखाने आये हो तो उसने बताया था रिपोर्ट लिखाने से पहले वह थाने पर गया था और दरोगा जी से उसकी बात थोड़ी हो चुकी थी, थाने पर वह रिपोर्ट

लिखाने से पहले करीब 3–4 दिन पहले गया था। उस दिन रहीश व रिजवान के नाम को लेकर कोई बात नहीं हुयी थी। जब उसकी रिपोर्ट लिखाने से पहले दरोगा जी से बात हुयी थी तब उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि रहीश व रिजवान किसी प्रकार घटना में शामिल हैं। जब वह दरोगा जी से मिलकर आया था तब उसे 4 दिन बाद रिजवान व रहीश के अभियुक्त होने की जानकारी हुयी थी। जब पत्नी ने दरोगा जी से मिलने के बाद चार दिन बाद बताया था तब उसे रहीश व रिजवान को घटना में शामिल होने की बात मालुम हुयी थी। रिपोर्ट उसने पहले लिखायी थी। यह बात उसने दरोगा जी को बतायी थी कि उसकी पत्नी ने बताया फोन किया तो रिजवान के साथ गये थे। दौरान जिरह पृष्ठ–8 पर साक्षी ने कथन किया है कि रिजवान के घर के लोगों ने कहा था रिजवान नाच देखने नहीं गये थे। रिजवान गेहूँ खांद रहे थे। इसके बारे में कुछ नहीं बताया, रिजवान उसे नहीं मिले थे। रिजवान करीब 10:00 बजे उसे घर पर मिले थे। रिजवान 10:00 बजे उसे घर पर दिखायी पड़े थे, रिजवान से उसने 10:00 बजे पूँछा था तब रिजवान ने कहा वह नहीं जानता है, बात सुनकर परेशान हो गये थे। रिजवान उसके लड़के को ढुँढवाने गये थे, रहीश नहीं गये थे। इसी पृष्ठ पर आगे कथन किया है कि उसका लड़का दिलशाद अकेले मोटर साइकिल से गया था, करीब आधा घण्टे बाद उसका लड़का पता लगाकर वापस आ गया था। सात बजे गया था साढ़े सात बजे वापस आ गया था, दिलशाद ने बताया था कि कल कोई नाच का कार्यक्रम नहीं था। उसका लड़का इरशाद घर में लीलाकुँआ नाच देखने को बताकर गया था लेकिन लीलाकुँआ में कोई नाच का प्रोग्राम नहीं था। दौरान जिरह पृष्ठ–10 पर साक्षी ने कथन किया है कि रहीश व इरशाद के बीच में दोस्ती थी व रिजवान व इरशाद के बीच में दोस्ती थी। यह दोस्ती रिजवान से दो साल से उसके लड़के की थी। रहीश की दोस्ती उसके लड़के इरशाद से नहीं थी। रहीश को वह घटना के पहले से जानता था, उसके यहॉ आना–जाना नहीं था। रिजवान का उसके यहॉ से काफी आना–जाना था। रिजवान व उसका लड़का अक्सर मिला करते थे। रिजवान पर उसे विश्वास भी था। रिजवान व इरशाद की फोन पर भी खूब बात होती थी। आगे पृष्ठ–11 पर साक्षी ने कथन किया है कि रिजवान का घर करीब 15 फीट उसके मकान से दूर है, बीच में भाग गलियारा है। गलियारा लगभग 12 फीट चौड़ा है, केवल गलियारा ही बीच में है, उसके बाद मकान है। इसी पृष्ठ पर आगे कथन किया है कि जिस समय

नाच देखने के लिए उसका लड़का इरशाद निकला था तब वह कमरे में ही था। यह बात उसने दरोगा साहब को बतायी थी कि इरशाद कमरे में था, जहॉ से वह नाच देखने गया था। कमरे में करीब 15 मिनट उसके साथ रहा, कमरे में फोन आ गया और बात करते चला गया, फोन काटा नहीं था, बाते करते हुये चला गया। आगे पृष्ठ–12 पर साक्षी ने कथन किया है कि रिपोर्ट लिखाने जब वह गया था, उसके बाद करीब आठ दिन बाद दरोगा जी घर पर आये थे। जब दरोगा साहब उसे मिले तो अब्दुल रहीश भी उसके साथ थे। दरोगा जी उन लोगों से मिलकर चले गये थे, दरोगा साहब से करीब दस मिनट बात हुयी थी। तारीख व समय उसे नहीं मालुम है कि दरोगा साहब कब मिले थे। दरोगा साहब उससे बाहर ही मिलकर चले गये थे। इसके बाद दरोगा साहब एक बार घटना के करीब छः दिन बाद मिले थे तब वह केवल अकेले था। इसके बाद एक बार फिर आये तब उससे मिले थे। पृष्ठ–13 पर साक्षी ने कथन किया है कि जब उसका लड़का गया था तब काली पैंट पहने था, शर्ट बैगनी धारीदार पहने था या नहीं उसे नहीं मालुम है।

दौरान जिरह पृष्ठ–14 पर साक्षी ने कथन किया है कि रहीश ने उसके लड़के इरशाद की गुमशुदगी के बारे में उससे नहीं पूँछा था। इरशाद के पास जो नम्बर था, उसकी उसे जानकारी नहीं है। उसने दरोगा जी को इरशाद के पास कौन सा नम्बर है, नहीं बताया था। यदि उन्होने उसके बयानों में यह बात लिखी हो तो वह इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। सिम मोबाइल का उसके लड़के के नाम था। रिपोर्ट लिखाने के समय इस बात की जानकारी नहीं थी कि इरशाद के साथ कौन–कौन था। पृष्ठ–15 पर साक्षी ने कथन किया है कि घटना वाले दिन वह घर पर सात बजे आ गया था। इरशाद उससे पहले आ गया था। जब वह आया था तब इरशाद गॉव में घर से खाना खाकर निकल चुका था फिर वापस लगभग 15 मिनट बाद आ गया था। आगे कथन किया है कि इरशाद के पास अधिकतर रात में फोन आया करता था, फोन पर भी इरशाद करीब पॉच मिनट बात करता था। इरशाद कभी भी यह नहीं बताता था कि फोन किसका आया था, घटना वाले दिन भी नहीं बताया फोन किसका आया था। दौरान जिरह पृष्ठ–16 पर साक्षी ने कथन किया है कि दरोगा साहब ने उसका बयान लिया था, तारीख याद नहीं। दरोगा साहब ने उसका बयान एक बार लिया था। दरोगा जी जब पहली बार घर आये थे तभी उसका व अन्य घर वालों का बयान लिया था, उसके बाद केवल पूँछताछ की, कभी

उसका बयान नहीं लिया। इसके बाद यदि बयान अंकित किया हो तो वह इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। पृष्ठ–17 पर साक्षी ने कथन किया है कि दरोगा साहब ने जब उसका बयान लिया था तब उसे कोई जानकारी नहीं थी कि घटना में दिनेश व रिजवान शामिल हो सकते हैं। पृष्ठ–19 पर साक्षी ने कथन किया है कि उसने एस0पी0 खीरी को भी एक प्रार्थना–पत्र दिनॉक–29. 05.2015 को दिया था। उसके साथ उसने एक शपथपत्र भी अपना फोटो लगाकर दिया था। उस पर उसने अपना अंगूॅठा भी लगाया था, उसे पढ़ व सुना भी लिया था। उसे ध्यान नहीं है कि उसने प्रार्थना–पत्र में रईश और रिजवान का नाम लिखवाया था या नहीं। जब न्यायालय में उसका बयान कराया गया था तब उसने इस प्रार्थना–पत्र में व शपथपत्र में रईस व रिजवान का नाम लिखवाये जाने की बात बतायी थी। आगे कथन किया है कि मजिस्ट्रेट साहब के सामने उसके बयान कराने दरोगा जी ले गये थे। जब दरोगा जी उसका बयान कराने मजिस्ट्रेट साहब के सामने लाये थे तब दरोगा जी ने उसे यह बताया था कि फोन की कॉल डिटेल से पता चला है कि रिजवान व इरशाद तथा रिजवान व रईस की बीच फोन पर बात हुयी है, इसलिए इन लोगों के नाम आपको मजिस्ट्रेट साहब के सामने बताने हैं। दरोगा जी ने उसे बताया था कि कॉल डिटेल में रईस और रिजवान के नाम निकले हैं, इसलिए उसने इन दोनों के नाम मजिस्ट्रेट साहब को बताये थे। दौरान जिरह पृष्ठ–25 पर साक्षी ने कथन किया है कि जिस दिन की घटना है, उस दिन गौरिया गॉव की बाजार लगी थी, दिन इतवार था। उस दिन उसने सब्जी नहीं लगायी थी। उसके लड़के इरशाद ने सब्जी लगायी थी। उस दिन वह बाजार नहीं गया था। काजू टीकनपुरवा का रहने वाला है। आगे पृष्ठ–26 पर कथन किया है कि काजू भी सब्जी लगाता है। काजू और इरशाद की दोस्ती थी। दिनेश, जो टीका पुरवा का रहने वाला है, वह उसको नहीं जानता है। घटना के बाद वह काजू के यहॉ गया था। उसे नहीं पता है कि काजू और दिनेश का मकान पास–पास है। पृष्ठ–27 पर साक्षी ने कथन किया है कि उसने अपने बयानों में दरोगा जी को यह नहीं बताया था कि इरशाद व अभियुक्तगण को किसने साथ–साथ देखा और न यह बात उसने अपने शपथपत्र में ही लिखायी थी। आगे कथन किया है कि घटना के सात दिन बाद वह काजू के यहॉ गया था, और उससे अपने लड़के इरशाद के बारे में पॅूछा था। काजू उसके साथ उसके लड़के को

ढुढवाने के लिए नहीं गया था, उसने कहा था कि अपने लड़के को खुद ढूँढो जाकर तब वह अपने घर चला गया।

24. इसी प्रकार तथ्य के द्वितीय साक्षी पी0डब्लू0–2 श्रीमती जामिना ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि इरशाद उसका लड़का था, घटना वाले दिन खाना खाने से पहले उसके लड़के इरशाद के पास एक फोन आया था, फोन पर उसने बात भी की थी, जब उसने पूॅछा कि किसका फोन आया है तो बताया था कि रिजवान का फोन था। जब उसने पूॅछा कि क्या बात कर रहा था तो इरशाद ने बताया कि नाच देखने चलने के लिए कह रहे थे, लीलाकुआं पर जाने को कह रहा था फिर उसका लड़का खाना खाने लगा तब फिर फोन आया तब इरशाद ने फोन पर रिजवान से कहा कि रूके रहना वह खाना खाकर आ रहा है फिर खाना खाने के बाद उसका लड़का इरशाद चला गया। नाच देखकर जब उसका लड़का सुबह वाली अजान तक वापस घर नहीं आया तब वह रिजवान के घर पता करने गयी तब रिजवान नहीं मिले, उनकी अम्मा मिली तो रिजवान के बारे में पूॅछा तो बताया कि रिजवान कहीं नहीं गया था, वह कमरे में सो रहा है, उसे न जगाओ तो वह वापस अपने घर चली आयी और अपने पति से बताया कि रिजवान की मॉ ने बताया कि रिजवान नाच देखने नहीं गया था, वह सो रहा है लेकिन रिजवान उसे घर पर दिखायी नहीं दिये थे तब उसके पति रिजवान को व इरशाद को तलाश करने लगे तो रिजवान काफी दिन चढ़ आने के बाद मिले तब उनसे इरशाद के बारे में पूॅछा तो बताया कि वह कल इरशाद के साथ कहीं नहीं गया था, उसे इरशाद के बारे में कुछ नहीं पता है तब उसने अपने लड़के इरशाद के मोबाइल फोन पर फोन करवाया तो स्विच ऑफ बता रहा था। तब उन सब लोगों ने इरशाद की तलाश शुरू कर दी तो कहीं पता नहीं चला। रिजवान भी उसके पति के साथ इरशाद की तलाश कराते रहे फिर इस बात की खबर उसके पति ने थाने पर भी दी थी। दौरान तलाश उन लोगों को पुलिस द्वारा पता चला कि इसी रात रिजवान, रईस व दिनेश लोगों की फोन से बाते हुयी, रिजवान व रईस में काफी दोस्ती थी, रिजवान का उसके घर उसके लड़के के साथ काफी आना–जाना था तथा रईस का रिजवान के घर काफी आना–जाना था। रईस रिजवान व दिनेश की भी काफी दोस्ती थी, दिनेश की उसके लड़के के साथ भी काफी उठक–बैठक थी, बाजार, मण्डी साथ–साथ जाते थे, लेकिन इन तीनों लोगों ने उसके लड़के इरशाद की बाबत जब कोई सही बात नहीं बतायी तब

उन लोगों को पूरा यकीन हो गया कि उसके लड़के इरशाद को कहीं गायब कर दिया है।

दौरान जिरह साक्षी ने पृष्ठ–4 पर कथन किया है कि घटना वाले दिन उसका बेटा 08:00–09:00 बजे रात में घर से गया था। फोन आने पर अकेले घर से गया था। उस समय घर में वह और उसकी लड़कियॉ थी। लड़कियॉ शादीशुदा हैं, बड़े लड़के की बारात थी, जिसमें आयी थी। वह यहीं उसके घर पर थी, खाना लड़कियॉ बना रही थी। खाना बनाने वाली बात दरोगा जी को उसने नहीं बतायी थी। घटना वाले दिन केवल उसकी लड़कियॉ आयी थी, अन्य मेहमान नहीं आये थे। उसका लड़का नाच देखने, नजदीक होता था तो चला जाता था, दूर नहीं जाता था। इरशाद के अलावा उसके घर में दूसरा कोई फोन नहीं था, एक फोन बड़े लड़के के पास था, जो कि घटना वाले दिन घर पर मौजूद नहीं था। वह किसी फोन का नम्बर नहीं बता सकती है। उसके लड़के की किसी से रंजिश नहीं थी और न ही उसके लड़के को बुरा कहता था। उसके लड़के की कभी भी किसी ने उससे या उसके आदमी से शिकायत नहीं की। पृष्ठ–5 पर साक्षी ने कथन किया है कि पड़ोस में वह रिवाजन के यहॉ लड़के का पता करने गयी, मुश्ताक के घर व बंजारो के घर पूॅछा था तब लोगों ने कहा कि उन्हें नहीं मालुम है। इसी पृष्ठ पर आगे कथन किया है कि उसे पता नहीं है कि गुमशुदगी की सूचना चौकी या थाने पर दी या नहीं। वह चौकी या थाने पर गयी ही नहीं थी। पृष्ठ–6 पर साक्षी ने कथन किया है कि घटना के दूसरे दिन पुलिस वाले उसके घर आये थे। उससे पूॅछताछ की थी, उसके बाद उससे पूॅछताछ नहीं की थी, कभी नहीं। घटना के संबंध में उससे किसी ने कुछ नहीं बताया था, न उसके पति ने बताया था। उसकी जानकारी में नहीं है कि उसका लड़का है या नहीं है। पृष्ठ–8 पर साक्षी ने कथन किया है कि रिजवान का घर, उसका घर आमने–सामने है, बीच में खडण्जा है। रिजवान के घर से उसका सदैव से आना–जाना था, रिजवान के घर से उसका कभी वाद–विवाद नहीं हुआ, हमेशा वह व रिजवान एक–दूसरे की मदद किया करते थे। इस घटना से पहले कभी रहीश से नहीं मिली थी। दौरान जिरह पृष्ठ–14 पर साक्षी ने कथन किया है कि लीलाकुॅआ पता करने उसके पति नहीं गये थे, उसका लड़का दिलशाद गया था। करीब 08:00 बजे लीलाकुऑ पता करने गये थे तब जानकारी मिली थी कि लीलाकुॅआ में नाच ही नहीं था, इसलिए उसका लड़का गलत बताकर गया था। जब उसके गॉव के

आस–पास कहीं नाच होता है तब आठ–दस गॉव तक जानकारी हो जाती है। उसके पति ने दिनॉक–07.05.2015, को कोई तहरीर थाना फरधान में दी थी या नहीं, उसे जानकारी नहीं है। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि दिनॉक–29.05.2015, को उसके पति ने पुलिस अधीक्षक खीरी को कोई प्रार्थना–पत्र दिया था या नहीं। उसके उसके पति ने कभी यह बात नहीं बतायी कि उसने थानाध्यक्ष फरधान, एस0पी0 साहब को कोई प्रार्थना–पत्र दिया है। पृष्ठ–16 पर कथन किया है कि खाना खाने से पहले उसके लड़के के पास रिजवान का कोई फोन नहीं आया था, उसके सामने नहीं आया था। यह बात उसने अपने मुख्य बयानों में लिखा दिया था या नहीं, ध्यान नहीं है। आगे कथन किया है कि वह रिजवान के घर अकेले गयी थी, उनके घर में दरवाजा नहीं लगा था। उसने रिजवान के घर रिजवान की माता को जगाया था और कहा था रिजवान नाच देखने गये थे तो बताया कि नाच देखने नहीं गये थे, वह सो रहे हैं, उन्हें जगाना मत। दौरान जिरह पृष्ठ–17 पर कथन किया है कि उसके लड़के इरशाद के पास कोई फोन नहीं आया था, यदि आया हो तो वह इसके विषय में नहीं बता सकती है। यदि उसके मुख्य बयान में खाना खाने से पहले फोन आने वाली बात लिखी हो तो इसकी वजह नहीं बता सकती है। उसके लड़के इरशाद के पास किसी का फोन नहीं आया था और न ही उसने इरशाद से किसी का फोन आने की बाबत पूछा था।

25. इसी प्रकार तथ्य के साक्षी पी0डब्लू0–4 दिलशाद ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि उसका छोटा भाई इरशाद खां दिनॉक–26.04. 2015, को रात लगभग 09:00 बजे लीलाकुआं नाच देखने जाते हैं। नाच देखने के लिए उसके भाई इरशाद को उसके गॉव के ही रिजवान व रहीश बुलाकर ले गये थे। उसका भाई जब नाच देखकर लौटकर नहीं आया तो उसने, उसके पिता जी व उसके रिश्तेदार ने व गॉव के लोगों ने भी काफी तलाश की थी फिर उसके बाद उसके पिता अयूब ने अज्ञात में एफ0आई0आर0 की थी। आज तक उसका भाई वापस घर नहीं आया है। रिपोर्ट लिखायी थी। घटना के बाद पुलिस ने उसका बयान दो बार लिया था। उसका दोबारा बयान लिया था। उसमें उससे पूॅछा था। उसके पास उसके पड़ोस में ही दुकान के पास काजू पुत्र अल्ताफ की दुकान है, काजू ने उसे बताया था कि दिनॉक–26.04.2015, को रात में इरशाद व दो अन्य व्यक्तियों, जिनके नाम वे नहीं जानते थे, जाते हुये देखा है। काजू उसके साथ ही सब्जी की दुकान लगाता है।

दौरान जिरह साक्षी ने कथन किया है कि उसे नाच देखने वाली बात इरशाद ने बतायी थी, 09:00 बजे बतायी थी। लीलाकुँआ वह सुबह 07:00 बजे गया था। दरोगा जी को उसने घटना के दूसरे–तीसरे दिन बता दिया था। उसका भाई इरशाद उसे नाच देखने वाली बात बताकर लीलाकुँआ गया था। दौरान जिरह पृष्ठ–4 पर साक्षी ने कथन किया है कि लीलाकुँआ पर उसने लोगों से पूँछा था तो उन्होने कहा था कि रात में यहॉ पर नाच नहीं हुआ था। दरोगा जी को उसने यह नहीं बताया था कि लीलाकुँआ पर घटना वाली रात नाच का प्रोग्राम नहीं था। उसका भाई इरशाद चरित्र का अच्छा था और उसके चरित्र के बारे में उसने कभी नहीं सूचना था न किसी ने शिकायत की थी। दौरान जिरह पृष्ठ–5 पर कथन किया है कि काजू से उसकी एक महीने बाद घटना से बाजार में मुलाकात हुयी थी। उस दिन उसने भी सब्जी लगाया था, काजू ने भी सब्जी लगाया था। उसने काजू को बताया था कि उसका भाई गायब हो गया परन्तु उसने घटना के बारे में उससे कुछ नहीं कहा। गवाह को उसका धारा–161 द0प्र0सं0 का बयान पढ़कर सुनाया गया तो कथन किया है कि वह नहीं बता सकता कि दरोगा जी को कब बयान दिया था, तारीख उसे याद नही। वह काजू से घटना के बाद मिला था, कोई बात नहीं हुयी। दरोगा जी ने उसका घर पर बयान लिया था। दौरान जिरह पृष्ठ–7 पर कथन किया है कि घटना वाले दिन इरशाद को कोई फोन किसी का नहीं आया था। लीलाकुँआ में घटना वाले दिन कहीं कोई नाच नहीं था। इसका मतलब यह है कि इरशाद नाच देखने जाने वाली बात झूठ बोलकर गया था। उसका भाई वैसे झूठ बोलकर नहीं जाता था। इसी पृष्ठ पर आगे कथन किया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि उसके पिता जी ने कोई प्रार्थना–पत्र पुलिस अधीक्षक को दिया था। दौरान जिरह पृष्ठ–10 व 11 पर साक्षी ने कथन किया है कि दरोगा साहब ने घर पर आकर कहा था कि नम्बर ट्रेस आउट करने हैं, जिसके आधार पर मुल्जिमान के बारे में पता किया जा सकता है। दरोगा साहब घटना के एक महीने बाद आये थे। दरोगा साहब ने बताया था कि लास्ट फोन रिजवान का था, इसलिए घटना में रिजवान के शामिल होने की बात दरोगा जी ने बतायी थी। यह बात उसने अपने दिये गये मुख्य पृच्छा और पुलिस को दिये गये बयानों में बताई थी या नहीं, उसे ध्यान नहीं। यह बात सही है कि दरोगा साहब द्वारा रिजवान की इरशाद से बात होने वाली बात जब बतायी गयी थी, उससे पहले रिजवान की इरशाद से बात हुयी अथवा नहीं, इसकी जानकारी

उन लोगों को नहीं थी। ऐसा नहीं है कि यह बात वह झूठ बोल रहा है। सह बात सही है कि दरोगा साहब ने रिजवान और रहीश को इस मुकदमें में मुल्जिम बना दिया था। आगे पृष्ठ–12 पर साक्षी ने कथन किया है कि उसकी शादी पॉच मई 2015 को थी। शादी घटना के पॉच–छः दिन बाद थी। बाद में स्वयं कहा दस दिन बाद थी। उसने इस बात की जानकारी करने का प्रयास किया था कि उसके भाई की रंजिश कहॉ–कहॉ और किससे है, परन्तु इस बात की सही जानकारी नहीं हो पायी। उसकी शादी में रिजवान शामिल हुये लेकिन रहीश से कोई खास सम्पर्क नहीं था, इसलिए वह नहीं हाजिर हुये। शफी खां पुत्र वारिश खॉ को जानता है, उन्होने घटना के संबंध में उसे अथवा उसके घर वालों को कोई बात नहीं बतायी और दरोगा जी को बतायी या नहीं, वह नहीं बात सकता। शफी खां उसके सगे चाचा हैं। पृष्ठ–13 पर साक्षी ने कथन किया है कि रियाजुद्दीन को वह जानता है, जिन्होने उसे कभी कोई बात नहीं बतायी, घर वालों या दरोगा जी को बतायी हो, तो इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। हामिद खां पुत्र जकरूल्ला जो उसके गॉव के हैं, उन्हें भी कभी कोई बात घटना के संबंध में नहीं बतायी। दरोगा जी को कोई बात बतायी हो तो इसके बारे में उसे जानकारी नहीं है। वह काजू पुत्र अल्ताफ को जानता है, इनके घटना से पूर्व कभी मुलाकात नहीं हुयी।

26– इस प्रकार तथ्य के साक्षीगण वादी पी0डब्लू0–1, पी0डब्लू0–2 तथा पी0डब्लू0–4 के उपरोक्त बयान के अवलोकन से यह तथ्य पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि दिनॉक–26.04.2015 को अपहृत इरशाद खां समय 09:00 बजे रात्रि नाच देखने के लिए घर से गया था, जो वापस नहीं आया। अभियोजन पक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से परिस्थितिजन्य साक्ष्य की प्रथम कड़ी को प्रमाणित करने में सफल रहा है। दौरान विवेचना बरामदगी नहीं हुयी है। अभियोजन की ओर से किसी भी ऐसे साक्षी को न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया गया है, जिसने अभियुक्तगण के साथ अपहृत को अंतिम बार जाते हुये देखा हो। वादी मुकदमा द्वारा प्रथम बार अपने प्रार्थना–पत्र प्रदर्श क–3 व शपथपत्र प्रदर्श क–4 में अभियुक्त दिनेश व उसकी पत्नी के साथ अपहृत इरशाद को देखे जाने का कथन किया है जबकि मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये गये बयान में वादी मुकदमा ने अभियोजन कथानक से इतर बयान दिया है कि दिनेश ने बाजार में उससे कहा था कि अपने लड़के को समझा लो वरना पछताओंगे। घटना दिनॉक–26.04.2015 की है, रात 08:30 बजे रिजवान का फोन आया और उसने उसके

लड़के को नाच देखने बुलवाया। लड़का फोन आने के बाद रिजवान व रहीश के साथ नाच देखने चला गया। वादी मुकदमा ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया गया उक्त बयान उसने पुलिस के कहने पर दिया था। प्रश्नगत मामले में विवेचक द्वारा अपहृत व अभियुक्त के मोबाइल फोन की कोई कॉल डिटेल एकत्र की गयी हो, ऐसा कोई प्रपत्र शामिल नहीं है। अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा द्वारा अपहृत द्वारा लीलाकुँआ नाच देखने को बताकर जाना कहा गया है जबकि तथ्य के साक्षीगण की साक्ष्य के अनुसार लीलाकुँआ में कोई भी नाच का प्रोग्राम था ही नही, जो अभियोजन कथानक की सत्यता को संदिग्ध बनाता है। उक्त के अतिरिक्त अभियुक्तगण द्वारा प्रश्नगत घटना कारित किये जाने का कोई हेतुक भी साबित नहीं किया गया है। दौरान गिरफ्तारी अभियुक्तगण द्वारा पुलिस के समक्ष संस्वीकृतिकारी कोई बयान किया गया हो, ऐसा भी कुछ नहीं बतलाया गया है।

27– इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष न्यायालय के समक्ष कोई भी ऐसा ठोस परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है, जिससे अभियुक्तगण के अपराध बोध का अनुमान लगाया जा सके तथा परिस्थितियॉ निश्चित तौर पर अभियुक्तगण की संलिप्तता की ओर इशारा इंगित करती हों। इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्य की पहली कड़ी के अतिरिक्त किसी अन्य कड़ी अर्थात् अन्य परिस्थिति को प्रमाणित करने में असफल रहा है। तद्नुसार अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित आरोपों की विशिष्टियों को युक्तियुक्त ढंग से संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण दिनेश कुमार, रिजवान तथा रहीश संदेह का लाभ पाते हुये अपराध अन्तर्गत धारा–364 भा0द0स0 के आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

(i) अभियुक्तगण दिनेश कुमार, रिजवान तथा रहीश को भा0दं0सं0 की धारा–364 के आरोप से संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त किया जाता है।

(ii) अभियुक्तगण जेरे जमानत न्यायालय में उपस्थित हैं, उनके व्यक्तिगत बंधपत्र व जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं तथा जामिनदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

(iii) अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त सत्र परीक्षण में दोषमुक्ति की बाबत धारा 481 बी0एन0एस0एस0, के प्राविधानों के अन्तर्गत मु0

50,000 / –50,000 / –(पचास–पचास हजार) रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व इतनी ही राशि की एक–एक प्रतिभू इस आशय की प्रस्तुत करे कि यदि उक्त सत्र परीक्षणों में पारित दोषमुक्ति आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जाती है एवं उन्हें तलब किया जाता है तो वे वहॉ उपस्थित होंगे। यह बंधपत्र 6 माह की अवधि तक प्रभावी रहेंगे।

दिनांक–18.08.2026

(शिव कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर–खीरी।

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एंव दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–18.08.2026

(शिव कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर–खीरी।

Digitally signed by SHIVA KUMAR SINGH
Date: 2026.08.19 12:46:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court